फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — बनाम — अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

मैसर्स राजस्थान ट्रेलर ट्रांसपोर्ट कम्पनी
जरिये प्रो. श्री मंगलसिंह पलसानिया
पुत्र श्री भैरूराम पलसानिया
निवासी–प्लॉट नं. ए–4 उद्योग नगर रोड़ नं.8
के सामने जयपुर के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर
श्री कमलेश पलसानिया पुत्र श्री मंगलसिंह पलसानिया
निवासी– निवासी–प्लॉट नं. ए–4 उद्योग नगर रोड़ नं.8
के सामने जयपुर

सरकार जरिये
अभियोजन अधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट** मुकदमा नं.193 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
09.11.2020	प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत पेश किया गया । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना अनादरा के सी. आर. नं. 131 दिनांक 11.10.2020 में उपाधीक्षक पुलिस वृत रेवदर द्वारा गलत रूप से प्रार्थी का टेंकर नम्बर आरजे 14 जीके 9655 पकडा गया हैं जिसमें 23000 लीटर डीजल भरा हुआ है । उसे जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर प्रार्थी को सुपुर्द करावें प्रार्थना पत्र की प्रति अभियोजन अधिकारी सिरोही को दी जाकर केस डायरी तलब की गई एवं मूल परिवाद मंगवाया जाकर मैंनें परिवाद का अवलोकन किया गया। मूल डायरी का अध्ययन किया गया। परिवाद दिनांक 27.10.2020 को प्रस्तुत किया गया। जिसका का अवलोकन करने पर पाया गया, कि दिनांक 11.10.2020 को वक्त 5.25 पी.एम. पर श्री छगनलाल उ.नि. प्रभारी डीएसटी टीम सिरोही ने उप अधीक्षक पुलिस रेवदर को सूचना दी कि रामदेव हरियाणा होटल के पीछे जो सरहद अनादरा थाना में स्थित है जहां होटल के पीछे खाली जगह पर एक टेंकर चालक अपने टेंकर की सील तोडकर डीजल चोरी कर रहा है एवं होटल पर कार्यरत् कर्मचारी चोरी किया हुआ डीजल [illegible] खरीद रहा है तथा उक्त डीजल को अवैध रूप [illegible] खरीद कर संचय कर अन्य लोगो को मुनाफा कमाने हेतु उ[illegible] में बेच रहा है कार्रवाई हेतु अ[illegible] पोक पर पहुचें तो सरहद में रामदेव हरियाणा होटल [illegible] पास वाहन सं. आरजे 14 जीके 9655 को चैक करने पर उसकी सील टुटी	

जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Rahal
Date: 2021.01.12 17:10:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुई पायी गई और सील के संबंध में श्री एहसान खान पुत्र श्री शकुर खान जाति मुसलमान निवासी घिरडोदा खारा पुलिस थाना जसवंतगढ़ जिला नागौर जो वाहन का चालक है से पूछने पर बताया कि उसनें डीजल चोरी करने के लिए टेंकर की सील तोडकर इस टेंकर मे से 275 लीटर डीजल होटल वाले को बेचा है।मौके पर उपस्थित एहसान खान की तलाशी लेने पर उसकी जेब से तोडी गई सील बरामद की गई तथा चोरी किया गया डीजल मौके पर पास ही रखे 5 ड्रम 200–200 लीटर क्षमता के जिसमें तीन प्लास्टिक तथा दो लोहे के बड़े ड्रम एवं 35–35 लीटर के दो प्लास्टिक के जरीकन तथा 20–20 लीटर क्षमता के दो प्लास्टिक के कैन पाया गया है।एक बडे ड्रम की क्षमता 200 लीटर की है। डीजल से भरा हुआ पाया गया तथा एक अन्य प्लास्टिक के ड्रम जिसकी क्षमता 200 लीटर थी, में 75 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया। जिसे पूछने पर होटल पर काम करने वाले कर्मचारी धन्नाराम ने बताया कि इस 275 लीटर डीजल के अलावा भी उसने अन्य टेंकरो के चालको से चोरी किया हुआ डीजल क्रय किया है जो उच्च दामों में अन्य लोगो को बेचान किया जाता है इस प्रकार अपराध धारा 407,379,411भादस का उल्लघन करना व MOTOR SPIRIT AND HIGH SPEED DIESEL REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION AND PREVENTION OF MALPRACTICES ORDER 1998 SEC-(2)(i) का उल्लघन है अतः धारा 407,379,411 भादस, 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन होने से मुकदमा दर्ज किया जाकर यह प्रकरण डीजल के निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री दलपत परमार व अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने बहस में निवेदन किया कि वाहन का ड्राईवर श्री एहसान खान पुत्र श्री शकुर खान जाति मुसलमान निवासी घिरडोदा खारा पुलिस थाना जसवंतगढ़ जिला नागौर हमेशा की तरह वाहन में डीजल भरकर कम्पनी के पेट्रोल पम्प जो सरहद थाना पालडी एम में अवस्थित है पर खाली करने हेतु जा रहा था । रास्ते में थाना अनादरा की सरहद में पुलिस ने उसके वाहन को रोककर जॉच की तो उसमें 23000 लीटर डीजल पाये जाने पर वाहन एवं डीजल को कब्जे सरकार लिया गया । प्रार्थी डीजल का एक मात्र स्वामी है जिसे [illegible] नायरा एनर्जी लिमिटेड जामनगर, गुजरात के [illegible] प्रार्थी की कम्पनी नायरा एनर्जी [illegible] पालडी एम [illegible] सिरोही है। डीजल के थाने में पड़े रहने से [illegible] होकर खराब हो जायेगी डीजल [illegible] है जिससे आग लगने की संभावना है जिससे उसे अतुलनीय क्षति होगी । पुलिस द्वारा डीजल से किसी तरह की कोई जॉच नहीं की जानी है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 17:10:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

इस संबंध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Pettion No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminial Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.**

अतः वाहन एवं डीजल का प्रार्थी एकमात्र स्वामी होने से सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान करावें ।

अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के तर्को का विरोध करते हुये निवेदन किया कि चालक द्वारा डीजल की चोरी कर कालाबाजारी करने हेतु उक्त वाहन में ले जाया जा रहा था । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अपराध होने से पुलिस द्वारा वाहन मय डीजल को कब्जे सरकार लिया गया है । एफएसएल रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नही हुई है। प्रकरण का अनुसंधान जारी है ।

ऐसी स्थिति में डीजल एवं वाहन को सुपुदर्गीनामे पर सुपुर्द नहीं किया जावें । उपाधीक्षक पुलिस रेवदर द्वारा थाना अनादरा के मुकदमा संख्या 131 दिनांक 11.10.2020 के अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट में टाटा टेंकर एलपीटी 2818 वाहन संख्या आर.जे. 14 जीके 9655 में डीजल 23000 लीटर को कब्जे सरकार लिया गया है । उसे सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान नहीं करावे।

मैंनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया । थानाधिकारी पुलिस थाना अनादरा के एफ आई आर क्रमांक 131 दिनांक 11.10.2020 एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि का अध्योपान्त मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस द्वारा टाटा टेंकर एलपीटी 2818 वाहन संख्या आर.जे. 14 जीके 9655 में 23000 लीटर डीजल चोरी करते हुये पाये जाने पर डीजल व वाहन को कब्जे पुलिस [illegible] कर वाहन चालक को गिरफ्तार कर अग्रिम अनुसन्धान [illegible] है । डीजल को उसके पंजीकृत [illegible] मालिक को देने [illegible] अनुसन्धान पर कोई विपरित असर पड़ना नहीं पाया जाता है । ऐसी स्थिति मे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष [illegible] जाता है जिससे वाहन मालिक एवं डीजल स्वामी को अतुलनीय क्षति होना पाया जाता है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 17:10:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

उपभोक्ताओं को वाहन चलाने हेतु हो रही परेशानी को मध्यनजर रखते हुए एवं डीजल ज्वलनशील पदार्थ होने से उसका निस्तारण शीघ्र किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Pettion No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminial Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.**

इस प्रकरण में लागू होना पाया जाने से उसका सम्मान करते हुए वाहन को रूपये 23,00,000/– की जमानत एवं सुपुर्दगीनामे पर दिये जाते है। डीजल के संबंध में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को से एवं अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत केस डायरी एवं कि गयी बहस से यह पाया जाता है कि वाहन में भरा हुआ डीजल चोरी का होना अभियोजन पक्ष सिद्ध करने में असफल साबित हुए है । केस डायरी का अवलोकन करने पर इनवॉइस नम्बर 123461 प्रार्थी की कम्पनी नायरा एनर्जी लिमिटेड पालडी एम जिला सिरोही के नाम दर्ज है । जिससे पाया जाता है कि उक्त टेंकर जामनगर से रवाना होकर पालडी एम नायरा एनर्जी लिमिटेड पहुंचना था । केस डायरी का अवलोकन करने पर पाया कि पुलिस द्वारा फर्द निरीक्षण घटना स्थल में बनाये गये नक्शें में बताया गया है कि रामदेव हरियाणा होटल के पीछे हैं उक्त हाइवे है जिससे रामदेव हरियाणा होटल पर होकर टेंकर आगे जाकर पालडी एम गांव की सरहद में बने पेट्रोल पम्प पर टेंकर में भरा डीजल खाली किया जाना प्रतीत होता है। यह प्रथम दृष्ट्या पाया जाता है कि इस प्रकार डीजल चोरी का [illegible] माना जा स[illegible] भरा हुआ

थानाधिकारी पुलिस [illegible] द्वारा केस डायरी प्रस्तुत की गई [illegible] वाहन एवं डीजल मालिक को पक्षकार बनाया गया है। डीजल जल्द ज्वलनशील होने वाली वस्तु हैं, जिसका निस्तारण करना आवश्यक हैं ।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 17:10:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अतः वाहन में भरे हुए डीजल 23000 लीटर को उसके मालिक को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते है। इन्वायस में दर्ज किमत 1192415/–रूपये हैं । अतः वाहन मालिक से रूपये 1200000/–की बैंक गारन्टी पर इनवॉइस नम्बर 123461 में दर्ज कम्पनी नायरा एनर्जी लिमिटेड पालडी एम जिला सिरोही को सुपुर्द करने हेतु प्रार्थी को देने के आदेश दिए जाते हैं ।

जिला रसद अधिकारी सिरोही कब्जे सरकार लिये गये 23000 लीटर डीजल जो टेंकर नं. आर.जे. 14 जीके 9655 में भरा हुआ है, को उसके स्वामी को जो नायरा एनर्जी लिमिटेड पालडी एम है को सुपुर्द करें एवं अन्य ड्रमों में 275 लीटर डीजल भरा हुआ है को नियमानुसार लाईसेंस होल्डर डीलर/पेट्रोलपंप डीलर को कम्पनी दर पर दिलवा कर प्राप्त राशि बतौर अमानत राजकोष में जमा करावे एवं टेंकर की सील, डीजल निकालने के उपकरण किप व नली जो पुलिस थाना अनादरा में पडा हैं, को नियमानुसार मुकदमें के निस्तारण तक पुलिस के मालखाना में सुरक्षितें जमा रखे ।

आदेश की प्रति पालनार्थ माफिक आदेश उसके स्वामी की जांच कर डीजल सुपुर्द करने हेतु जिला रसद अधिकारी सिरोही एवं थानाधिकारी पुलिस थाना अनादरा को भिजवाई जावे । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो एंव नम्बर से कम होकर मूल पत्रावली के साथ नत्थी रखा जावें ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 17:10:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

19.11.2020

माफिक आदेश मैंसर्स राजस्था ट्रेलर ट्रांसपोर्ट कम्पनी जाये प्रोपराईटर मंगलसिंह पलसानिया पुत्र भैरूराम पलसानिया जाति जाट निवासी उधोग नगर जयपुर के आम मुख्तियार होल्डर कमलेश पलसानिया पुत्र मंगलसिंह जाति जाट निवासी जयपुर द्वारा सुपुर्दगीनामा एवं नरेन्द्र पलसानिया पुत्र मंगलसिंह जाति जाट निवासी जयपुर द्वारा जमानतनामा हाजिर अदालत होकर प्रस्तुत किया । टेंकर आर.जे. 14 जी.के. 9655 की जमानत एवं सुपुर्दगीनामा रूपये 230000/– (अक्षरे रू. तेईस लाख) एंव डीजल हेतु 120000/– बारह लाख की बैंक गारन्टी एस. बी.आई सांगानेरी गेट जयपुर की दिनॉक 18.11.2020 की प्रस्तुत की गई, जो स्वीकार कर तस्दीक किया जाता है । साथ ही थानाधिकारी पुलिस थाना अनादरा को निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान यथाशीघ्र सम्पन्न किया जाकर धारा 6ए आवश्यक वस्तुत अधिनियम के तहत प्रकरण इस न्यायालय में एवं धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करे । आदेश की प्रति पालनार्थ माफिक आदेश वाहन एंव डीजल सुपुर्द करने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना अनादरा को भिजवाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

जिला कलक्टर, सिरोही

Kailash Pallania

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 17:10:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner